185

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2011/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः देहरादून : 22 जुलाई, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2011

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2– **नियम 8 में उपनियमों का जोड़ा जाना :**

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 जिसे यहाँ "मूल नियम" कहा गया है, में–

नियम 8 के वर्तमान उपनियम (18) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड दिये जायेंगे, अर्थात–

(19) कमिश्नर किसी पंजीकृत ब्यौहारी अथवा पंजीकृत ब्यौहारियों की किसी ऐसी श्रेणी को जिसको व उचित समझे अथवा सभी पंजीकृत ब्यौहारियों को ऐसे घोषणा पत्रों, जैसे कि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित है, अपने लिये डाउनलोड तथा प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

(20) उपनियम (19) के प्रयोजन हेतु कमिश्नर ऐसे घोषणा पत्रों को, जो कि डाउनलोड किये जा सकते हैं, की श्रृंखला एवं क्रम संख्या को अधिकृत एवं विहित कर सकता है।

(21) उपनियम (20) के अनुसार डाउनलोड किये गये घोषणा पत्रों को स्वयं ब्यौहारी अथवा फर्म, कम्पनी आदि के मामले में इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे हस्ताक्षर का नमूना कमिश्नर तथा कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(22) नियम 8 के अन्य सभी उपबन्ध, डाउनलोड किये गये घोषणा पत्रों में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त घोषणा पत्रों में लागू होते हैं।

परन्तु यह कि उक्त घोषणा पत्रों के डाउनलोड किये जाने की सुविधा उन्हीं ब्यौहारियों को अनुमन्य होगी जिनके द्वारा बीजकों का विवरण विहित प्ररूप 17(ग), 17(च), 17(ज), 17(झ) एवं 17(ञ), जैसी भी स्थिति हो, में सावधिक विवरणियों के साथ अपलोड किये गये हों;

परन्तु यह और कि कमिश्नर, घोषणा पत्रों एवं ऐसे प्ररूपों को जारी करने हेतु आवेदनों को डाउनलोड करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।